उत्तर प्रदेश शासन

चीनी उद्योग अनुभाग-3

संख्या-11/2017/2663/46-3-17-1607/2004

लखनऊ दिनांक : 14 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 1953) की धारा 28 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन)(छब्बीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (छब्बीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम- 49 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 में,नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये नियम 49 के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
49- किसी फैक्टरी का अध्यासी, खरीदे गये गन्ने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सांविधिक गन्ना मूल्य, जिसे संप्रति उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) के रूप में जाना जाता है, के तीन प्रतिशत की दर से कमीशन देगा, जिसमें से पचहत्तर प्रतिशत गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति को और पच्चीस प्रतिशत परिषद को संदेय होगा: परन्तु पेराई सीजन 2016-17 के दौरान खरीदे गये गन्ने पर संदेय कमीशन का भुगतान उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) के तीन प्रतिशत के स्थान पर चार रूपये पचास पैसे प्रति कुन्तल की दर से किया जायेगा।	49- किसी फैक्टरी का अध्यासी, खरीदे गये गन्ने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सांविधिक गन्ना मूल्य, जिसे संप्रति उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) के रूप में जाना जाता है, के तीन प्रतिशत की दर से कमीशन देगा, जिसमें से पचहत्तर प्रतिशत गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति को और पच्चीस प्रतिशत परिषद को संदेय होगा: परन्तु पेराई सीजन 2017-18 के दौरान खरीदे गये गन्ने पर संदेय कमीशन का भुगतान उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) के तीन प्रतिशत के स्थान पर पॉच रूपये दस पैसे प्रति कुन्तल की दर से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

टिप्पणी:- उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 अधिसूचना संख्या-2662(2)-एस0/18-सी0-1723-53, दिनांक 01 सितम्बर, 1954 द्वारा जारी किया गया और निम्नलिखित नियमों द्वारा संशोधित की गयी:-

प्रथम संशोधन अधिसूचना संख्या-3096एस0/18-सी-1723-53,दिनांक 18 मई, 1961
द्वितीय संशोधन अधिसूचना संख्या-5175एस0/18-सी-1723-53, दिनांक 24 अक्टूबर, 1961
तृतीय संशोधन अधिसूचना संख्या-6428एस0/18-सी-1723-53, दिनांक 12 दिसम्बर,1961
चतुर्थ संशोधन अधिसूचना संख्या-3129एस0/18-सी-1601-63, दिनांक 28 अप्रैल, 1964
पंचम संशोधन अधिसूचना संख्या-5032एस0/18-सी-1601-63, दिनांक 17 नवम्बर, 1961
छठा संशोधन अधिसूचना संख्या-2734एस0/18-सी-1601-63, दिनांक 22 जून,1966
सातवां संशोधन अधिसूचना संख्या-9952एस0/18-सी-1808-68, दिनांक 14 जनवरी, 1972
आठवां संशोधन अधिसूचना संख्या-6819एस0/18-5-1739-72, दिनांक 20 फरवरी, 1973
नवां संशोधन अधिसूचना संख्या-2015एस0/18-5, दिनांक 28 जून, 1973
दसवां संशोधन अधिसूचना संख्या-2683एस0/18-5-1626-73, दिनांक 19 जनवरी, 1974
ग्यारहवा संशोधन अधिसूचना संख्या-2175एस0/18-5-1626-73, दिनांक 11 जुलाई, 1985
बारहवां संशोधन अधिसूचना संख्या-2742एस0ची0उ0अनु0-1/91-1626/73, दिनांक 10 जून, 1991
तेरहवां संशोधन अधिसूचना संख्या-1355एस0ची0उ0अनु0-1/92-2643/90, दिनांक 24 अप्रैल, 1992
चौदहवां संशोधन अधिसूचना संख्या-534एस0ची0उ0अनु0-1/96-2560/94, दिनांक 6 जून,1996
पन्द्रहवां संशोधन अधिसूचना संख्या-2602एस0ची0उ0अनु0-1/98-1623/96, दिनांक 31 दिसम्बर, 1998
सोलहवां संशोधन अधिसूचना संख्या-2360एस0ची0उ0अनु0-1/2000-1623/96, दिनांक 09 नवम्बर, 2000
सत्रहवां संशोधन अधिसूचना संख्या-2410एस0ची0उ0अनु0-1/2001-1623/96,दिनांक 08 नवम्बर,2001
अठारहवां संशोधन अधिसूचना संख्या-2778एस0ची0उ0अनु0-1/2002-1623/96, दिनांक 05 दिसम्बर, 2002
उन्नीसवां संशोधन अधिसूचना संख्या-190एस0ची0उ0अनु0-1/2002-1623/96, दिनांक 05 फरवरी,2004
बीसवां संशोधन अधिसूचना संख्या-4202एस0ची0उ0अनु0-1/2004-1607/2004, दिनांक 31 दिसम्बर, 2004
इक्कीसवां संशोधन अधिसूचना संख्या-06एस0ची0उ0अनु0-1/2005-2528/2004,टी.सी. दिनांक 22 फरवरी, 2005
बाईसवां संशोधन अधिसूचना संख्या-945एस0ची0उ0अनु0-1/2005-2528/2004,टी.सी. दिनांक 08 जून, 2005
तेईसवां संशोधन अधिसूचना संख्या-4/2015/620एस0ची0उ0अनु0-1/15-1607/2004, दिनांक 12 जून,2015
चौबीसवां संशोधन अधिसूचना संख्या-03/2016/115एस0ची0उ0अनु0-1/16-1607/2004, दिनांक 01 मार्च,2016
पच्चीसवां संशोधन अधिसूचना संख्या-1/2017/1517एस0ची0उ0अनु0-1-2016-1607/2004, दिनांक 17 मार्च, 2017

आज्ञा से,

(**संजय आर भूसरेडडी**)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-11 /2017/2663(1)/46-3-17-1607/2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्निलखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की हिन्दी तथा अंग्रेजी की प्रति हस्ताक्षरित एक-एक प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचनाओं को दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 के, असाधारण गजट अंक विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में उसकी 1000 प्रतियाँ (प्रत्येक की) प्रकाशित कराकर शासन के चीनी उद्योग अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश सचिवालय, द्वितीय तल, बापू भवन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1/2 तथा लेखा परीक्षा-1/2 उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- गन्ना/चीनी आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0/ उन जनपदों को जहाँ चीनी मिलें स्थित हैं।

आज्ञा से,

(**नरेश बहादुर**)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shsasan
Chini Udyog Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.11/2017/2663/46-3-2017-1607/2004, dated December 14, 2017

Notification

no.11/2017/2663/46-3-2017-1607/2004,
Lucknow Dated 14 December , 2017

In exercise of the powers under section 28 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 (U.P. Act no.XXIV of 1953) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904, (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Rules, 1954:-

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (TWENTY-SIXTH AMENDMENT) RULES, 2017.

Short title and commencement

1- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Twenty-Sixth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule-49

2- In the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Rules, 1954 for rule 49 set out in column 1 below, the rule as set out in column II shall be substituted, namely:-

Column I **Existing Rule**	**Column II** **Rule as hereby subsituted**
49. The Occupier of a factory shall pay commission on cane purchase at the rate of three percent of minimum statutory cane price, presently known as Fair and Remunerative Price (F.R.P.) fixed by the Government of India, out of which seventy five percent shall be payable to the cane grower's co-operative society and twenty five percent to the council: Provided that the commission payable on cane purchased during crushing season 2016-2017 shall be paid at the rate of four rupees and fifty paisa per quintal instead of three percent of Fair and Remunerative Price (F.R.P.).	49. The Occupier of a factory shall pay commission on cane purchase at the rate of three percent of minimum statutory cane price, presently known as Fair and Remunerative Price (F.R.P.) fixed by the Government of India, out of which seventy five percent shall be payable to the cane grower's co-operative society and twenty five percent to the council : Provided that the commission payable on cane purchased during crushing season 2017-18 shall be paid at the rate of five rupees and ten Paisa per quintal instead of three percent of Fair and Remunerative Price (F.R.P.).

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Note : The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase and Rules, 1954, issued with notification no.2662(2)S/XVIII-C-1723-53, dated September 1, 1954 were amended by the following rules;

First amendment issued with notification no.3096-S/XVIII-C-1723-53 dated May 18, 1961
Second amendment issued with notification no.5175-S/XVIII-C-1723-53 dated October 24, 1961
Third amendment issued with notification no.6428-S/XVIII-C-1723-53 dated December 12, 1961
Forth amendment issued with notification no.3129-S/XVIII-C-1601-63 dated April 28, 1964
Fifth amendment issued with notification no.5032-S/XVIII-C-1601-63 dated November, 1965
Sixth amendment issued with notification no.2734-S/XVIII-C-1601-63 dated June 22, 1966
Seventh amendment issued with notification no.9952-S/XVIII-C-1808-63 dated January 14, 1972
Eighth amendment issued with notification no.6819-S/XVIII-5-1739-72 dated February 20, 1973
Ninth amendment issued with notification no.2015-S/XVIII-5, dated June 28, 1973
Tenth amendment issued with notification no.2683-S/XVIII-5-1626-73 dated January 19, 1974
Eleventh amendment issued with notification no.2175-S/XVIII-5-1626-73 dated July 11, 1985
Twelvth amendment issued with notification no.2742-S/Chi-U-Anu-1-91-1626-73 dated June 10, 1991
Thirteenth amendment issued with notification no.2742-S/Chi-U-Anu-1-92-2643-90 dated April 24, 1992
Fourteenth amendment issued with notification no.534-S/Chi-U-Anu-1-96-2560-94 dated June 06, 1996
Fifteenth amendment issued with notification no.2602-S/Chi-U-Anu-1/98-1623/96 dated December 31, 1998
Sixteenth amendment issued with notification no.2360-S/Chi-U-Anu-1-1623/96 dated November 9, 2000
Seventeenth amendment issued with notification no.2410-S/Chi-U-Anu-1-1623/96 dated November 8, 2001
Eighteenth amendment issued with notification no.2778-S/Chi-U-Anu-1-1623/96 dated December 5, 2002.
Ninteenth amendment issued with notification no.190-S/Chi-U-Anu-1-2004-1623/96 dated Febuary 5, 2004
Twentieth amendment issued with notification no.4202-S/Chi-U-Anu-1-2004-1607/96 dated December, 2004
Twenty- first amendment issued with notification no.6-S/Chi-U-Anu-1-2005-2528/2004-T.C. dated Febuary 22, 2005
Twenth- second amendment issued with notification no.945-S/Chi-U-Anu-1-2005-2528/2004-T.C. dated June 8,2005
Twenty- third amendment issued with notification no.4/2015/620-S/Chi-U-Anu-1/15-1607/2004 dated June 8, 2015
Twenty- forth amendment issued with notification no.3/2016/115-S/Chi-U-Anu-1/16-1607/2004 dated June 12, 2016
Twenty- fifth amendment issued with notification no.1/2017/1517-S/Chi-U-Anu-1/16-1607/96 dated March 17, 2017

By Order,

(**Sanjay R. Bhoosreddy**)
Principal Secretary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।